

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

सं० ए-19011/02/2002-प्रशा०-I—राष्ट्रपति,
श्रीमती अनुराधा मानसिंह, भा० प्र० से० (गुजरात :70) को
उनके व्यक्तिगत आधार पर, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक

हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय के वर्तमान अधि
पद का अपर सचिव से भारत सरकार के सचिव सार
उत्नयन करके, 29 मई, 2004 से 26,000/- रु० (निय
के वेतनमान में अध्यक्ष एवं भारत सरकार का पदेन स
नियुक्त करते ह ह

राम सिंह यादव, अपर सचि

राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक हथियार समझौता

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सांका०नि०(फा०सं०ए-12018/1/2003-एन०ए०)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता मंत्रिमंडल सचिवालय में कतिपय (समूह 'क' और 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विधायन करने के लिए निर्मात्रित विधायन बनते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता मंत्रिमंडल सचिवालय (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :- यह नियम इससे उगावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन :- इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को अथवा उससे पूर्व राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता में नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) को इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

6. निरर्हता :- वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार व लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों में प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उस लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाध, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अवैध है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सलाहकार	1* (2004)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	16400-450- 20000 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है						

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवर्धना की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमजन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमजन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/समाप्त/आमजन किया जाएगा
(11)	(12)

प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक
संविदा भी हैं।

प्रतिनियुक्ति (जिनके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) :

केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिनके न ही सभे पर पब्लिक सेक्टर के
उपक्रमों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त
अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या नानूतो संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद
धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 14300-18300/- रुपए या
समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस
श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 12000-16500/- रु० या
समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस
श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(11)

(12)

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :-
आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान और औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रसायनिक प्रौद्योगिकी या रसायनिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य।
- (ii) किसी ऐसे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या औद्योगिक समुदाय में, जो कार्बनिक रसायनों और कार्बनिक रसायन उद्योग के क्षेत्रों में लगा हुआ है, प्रबंधकीय तकनीकी पद पर बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से रसायनिक इंजीनियरी के प्रशासन या रसायनिक आयुध अभियंत्रण नियम के कार्यान्वयन और राज्य सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विधि के पारस्परिक प्रवर्तन में चार वर्ष का अनुभव

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बहाल पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) को अंग्रेज है साधारणतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वयंसेवी निकायों या तकनीकी संगठनों से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अंग्रेज को नियुक्ति तथा इन नियमों के तहत उपरोक्त का संशोधन करते या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	चारा, अथवा अचयन पद	सोप्रे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	चारा सेवा में जोड़े जाने का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त निदेशक	1* 2004	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	12000-375 16500 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विज्ञान, आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या अमेता द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अमेता द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्वानुतरण/अमेता किया जाएगा

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिसके तहसील पर पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी.--

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 10000-15200 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :--
आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक प्रौद्योगिकी या रासायनिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य।

(ii) किसी ऐसे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या औद्योगिक समुत्थान में, जो कार्बनिक रसायनों और कार्बनिक रसायन उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है, प्रबंधकीय तकनीकी पद पर दस वर्ष का अनुभव।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसका संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति तथा इन नियमों के किसी उपबंध या संशोधन करने या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप-निदेशक	1* (2004) 1* (1998) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननु-सचिवीय	10000- 325- 15200 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

(8)

लागू नहीं होता

(9)

लागू नहीं होता

(10)

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(11)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्वानांतरण/आमेलन किया जाएगा।

(12)

प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है -

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिसके तह स होने पर पञ्जित सेक्टर के उपक्रमों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8000-13510 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-10500 रु० या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो ; और

(11)

(12)

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक त्रैद्योतिक या रासायनिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य ।

(ii) किसी ऐसे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या औद्योगिक समुत्थान में, जो कार्बनिक रसायनों और कार्बनिक रसायन उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है, प्रबंधकीय या तकनीकी पद पर पांच वर्ष का अनुभव ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानून संगठनों से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर जितने अधिकारों को नियुक्ति तथा इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या शिथिल करने समस्त संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	भेतमानत (रूपए)	चयन, अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	क्या सेवा में जोड़े गए नहीं ता फायदा अनुज्ञेय हैं या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

4. तकनीकी अधिकारी

4* (2004)

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपट्टित अननुसचिबीय

6500-200-10500 रु०

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

नहीं

*कायंभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।

परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या अ.मेजा द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अ.मेजा द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिससे प्रोन्नति/स्थानांतरण/अ.मेजा किया जाएगा

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिसके न हो सके पर पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5500--9000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000--8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा हो ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्थापित विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक प्रौद्योगिकी या रासायनिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य।
- (ii) किसी ऐसे उद्योगी या कारखाने या प्रौद्योगिक समुदाय में जो कार्बनिक रसायनों और कार्बनिक रसायन उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है तकनीकी पद पर दो वर्ष का अनुभव।

(प्रतिनियुक्ति को अग्रिम (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले अग्रिम जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) को अग्रिम के साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अग्रिमता अनुसंधान आयोग प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में कितनी परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों या प्रौद्योगिकी (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति अग्रिमता की नियुक्ति तथा इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या विधित करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 3rd January 2005

No. A. 22017/3/2004-PMA—Shri Jyotindra Nath Dixit, IFS (Retd), National Security Advisor, expired on the forenoon of 3rd January, 2005.

P. K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st December 2004

No. RS/3(i)/2004/98-Perl.—Shri Nagendra Kumar Singh who was earlier appointed to officiate as Director (LARRDIS) against an ad-hoc vacancy in the grade *vide* Notification No. RS/3(iv)/2004/65-Perl dated 1st September, 2004 has now been appointed on a regular basis in that grade with effect from the forenoon of 31st December, 2004, until further orders.

VANJULA G. RAJAN, Under secy.

No. RS/3(i)/2004/99-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri P. R. Gupta Roy, Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat as Director

NATIONAL AUTHORITY
CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

New Delhi, the 30th December 2004

G.S.R. (F. No. A. 12018/1/2003-NA)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain (Group 'A' and 'B') posts in the National Authority for the Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2004.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
3. Number of posts, classification and scales of pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.
4. Method of recruitment, age limit, qualification etc. :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
5. Initial Constitution :—Any person(s) appointed in the National Authority for Chemical Weapons Convention, on or before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules.
6. Disqualification,—No person, —
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

7. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
8. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time.

in that Secretariat with effect from the forenoon of the 31st December, 2004 until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 24th December 2004

No. A-19011/02/2002-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Anuradha Mansingh, IAS (GJ:70) as Chairperson & ex-officio Secretary to the Government of India in the pay scale of Rs. 26000/- (fixed) with effect from 29th May, 2004 by upgrading the existing post of Chairperson, National Authority, CWC, Cabinet Secretariat from the level of Additional Secretary to the level of Secretary to the Government of India as personal to Smt. Anuradha Mansingh.

R. S. YADAV, Under Secy.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Adviser	*01 (2004)	General Central Service	16400- 450- 20000	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload	Group 'A'- Gazetted -Non- Ministerial							

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)

Deputation including short term contract	<p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officers under the Central Government falling which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>ESSENTIAL :</p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or Institute or equivalent.</p> <p>(ii) Twelve years' experience in a managerial technical position in a technical or research organization or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry, out of which four years experience in administration of chemical units or implementation of the provisions of Chemical Weapons Convention Act and enforcement of law interaction with State Governments or International organisation.</p> <p>(Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing officer on deputation (including short term contract) from State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any the provisions of these rules
--	---	----------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Joint Director	*01 (2004)	General Central Service	12000-375-16500	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload	Group 'A'-Gazetted -Non-Ministerial							

(11)	(12)	(13)	(14)
Deputation including short term contract	<p>Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government failing which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>ESSENTIAL :</p> <p>(i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognized University or Institute or equivalent.</p> <p>(ii) Ten years' experience in a managerial technical position in a technical or research organization or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry.</p> <p>(Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).</p>	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) from State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Deputy Director	*01 (2004) **01 (1998)	General Central Service	10000- 325- 15200	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload	Group 'A'- Gazetted -Non- Ministerial							

(11)	(12)	(13)	(14)
Deputation including short term contract.	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government failing which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognised research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre or Department; or (ii) with Eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: ESSENTIAL : (i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or Institute or equivalent. (ii) Five years' experience in a managerial technical position in a technical or research organisation or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) from State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.

**Created with the designation of Assistant Director in the scale of pay of Rs. 10000-15200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. Technical Officer	*04 (2004)	General Central Service	6500-200-10500	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	*Subject to variation dependent on workload	Group 'B'-Gazetted Non-Ministerial							

(11)	(12)	(13)	(14)
Deputation including short term contract	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government falling which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognised research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: ESSENTIAL : (i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University or Institute or equivalent. (ii) Two years' experience in a technical position in a technical or research organisation or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry. [Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) from State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.

RAJU SHARMA, Joint Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17—फरवरी 23, 2007 (माघ 28, 1928)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17—FEBRUARY 23, 2007 (MAGHA 28, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. ए-34011/2/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री आर. एस. तोमर, को 27 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में, अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान, के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. राणा, उप सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. आरएस./1524/स्था.(कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु पाप्य कर लेने पर श्री देवी दास, निदेशक 31 जनवरी, 2006 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये।

प्र. रं. गुहागार, निदेशक

दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. ए-39011/9/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री एम. ए. सिद्दीकी, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, 31 जनवरी, 2007 के अपराह्न से अधिवर्षिता अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं।

आर. एस. राणा, उप सचिव

सं. आरएस./6(iv)/2007/12-कार्मिक--डा. प्रमनजीत बोस, अध्यक्ष, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति (श्री सीताराम बेच्चा) को वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में राज्य सभा सचिवलय में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 31 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से समाप्त कर दी गई हैं।

प्र. रं. गुहागार, निदेशक

सं. ए-34011/4/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीवती एन. के. उष्यत, सहायक, को 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में, अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. राणा, उप सचिव

सं. आरएस./6(iv)/2007/13-कार्मिक--श्री लीला कोट्टुगे की आयु पाप्य कर लेने पर 31 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से अपराह्न आदेशों तक वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हो गये हैं।

सचिव के रूप में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति (श्री सीताराम येचुरी) के वैयक्तिक स्टाफ में किया गया है।

2. श्री वीरैया कौंडुगी की नियुक्ति राज्य सभा में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और यह उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. आरएस./1706/स्था.(कार्मिक)--श्री टी. नाहासामी, वरिष्ठ संसदीय भाषांतरकर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप वह 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

सी. बी. राय, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक हथियार समझौता

नई दिल्ली-110021, 8 जनवरी 2007

सं. ए.12018/1/2004-एन ए--भारत के राजपत्र में 15 जनवरी, 2004 को पृष्ठ 59 से 63 में प्रकाशित किए गए राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पर) भर्ती नियम, 2004 (अंग्रेजी रूपांतर) के अंतर्गत उप निदेशक के पद से संबंधित अनुमोची के अधीन स्तम्भ (12) के नीचे पैरा क (ii) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:--

(क) (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8,000—13,500/- रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6,500—10,500/- रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और

राजू शर्मा, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ए-12025/01/2005-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के कस्बा और राष्ट्रीय योजना संगठन में अनुसंधान सहायक, श्री गजानन माली को योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 25.01.2007 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए, या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति करते हैं।

आर. के. परमार, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. 181/1/2006/1388--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को 31 अगस्त, 2006 से आगामी आदेशों तक के लिए भारत निर्वाचन आयोग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. श्री तपस कुमार
2. श्री शंगारा राम (अ. जा.)
3. श्री के. अजय कुमार
4. श्री आर. के. श्रीवास्तव

राजेश अग्रवाल, निदेशक (पशासन)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ए-20/जी-बी/89--आयोग की दिनांक 8 फरवरी, 2006 की अधिसूचना के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में, प्रधान निजी सचिव श्री सी. पी. शर्मा, की प्रतिनियुक्ति की पदावधि दिनांक 31.01.2008 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, एतद्वारा बढ़ायी जाती है।

स्टैंडहोप युहलुंग, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 193/22/1/2007(एमएल)/1450--अधिवर्षिता की आशु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में अवर सचिव, श्री मोहन लाल दिनांक 31.01.2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

स्टैंडहोप युहलुंग, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर 2006

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा. IV(वि.का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.05.2006 के का. जा. सं. 5/8/2006-सं.एस.-II के अनुसरण में तथा श्रीमती आर. कलई सेल्वी, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की ग्रेड 'ग' आशुलिपिक द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, उन्हें रु. 6,500—10,500/- के वेतनमान में दिनांक 31.05.2006 से 31.12.2006 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त की है।

2. उपरोक्त प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है तथा इनमें उन्हें उस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा उपरोक्त अवधि के लिए

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 29th January 2007

No. A. 35011/6/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Tomar as Superintendent, President's Gardens, President's Secretariat, with effect from the forenoon of 27th January 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

The 1st February 2007

No. A. 39011/9/06-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri M. A. Siddiqui, Section Officer, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st January, 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

No. A. 34011/4/06-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. H. K. Uppal, Assistant, as Section Officer, President's Secretariat with effect from the forenoon of 1st February 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st January 2007

No. RS/1524/Estt (P)—On attaining the age of superannuation, Shri Devi Dass, Director retired from service with effect from the afternoon of the 31st January, 2007.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/6(iv)/2007/12-Perl.—The services of Dr. Prasenjit Bose, who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sitaram Yechury) have been terminated w.e.f. the afternoon of 31st December, 2006.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/6(iv)/2007/13-Perl.—Shri Veeraiah Konduri has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sitaram Yechury) w.e.f. the forenoon of 1st January, 2007, until further orders.

2. The appointment of Shri Veeraiah Konduri is at the discretion of the present Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture and will be co-terminus with the term of his office.

P. R. GUHA ROY, Dir.

New Delhi-110001, the 1st February 2007

No. RS/1706/Estt. (P)—Consequent on the acceptance of his request for voluntary retirement, Shri T. Nalhasamy, Senior Parliamentary Interpreter retired from service with effect from the forenoon of the 1st February, 2007.

C. B. RAI, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

NATIONAL AUTHORITY CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

New Delhi-110021, the 8th January 2007

CORRIGENDUM

No. A. 12018/1/2004-NA—The paras (a)(ii) below column (12) under schedule relating to the post of Deputy Director under the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment rules, 2004 (English version) published in the Gazette of India on January 15, 2004 vide pages 59—63, shall be read as under :—

(a) (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500—10,500/- or equivalent in the parent cadre or Department; and

RAJU SHARMA, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th January 2007

No. A. 12025/01/2005-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Gajanan Mali Research Assistant, Town & Country Planning Organisation, Ministry of Urban Development, New Delhi as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on purely ad-hoc deputation basis, for a period of one year with effect from 25.01.2007 (F.N) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

R. K. PARMAR, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 29th January 2007

No. 181/1/2006/1388—The President of India is pleased to appoint the following officers as Secretary in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Election